

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़,
जिला जयपुर

रणशेर सिंह बनाम राज्य सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022

22-04-2022

प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अप्रार्थी को जारी हो। पत्रावली दिनांक 25-04-2022 को पेश हो।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

25/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर्युक्त धारा 128 के अन्तर्गत एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा ने अर्न्तगत धारा 128 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अप्रार्थी को जारी हो। पत्रावली दिनांक 25-04-2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

25/5/22

~~पत्रावली पत्र प्र. फ. 0. 128~~
~~धारा 128 के अन्तर्गत~~
~~प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अप्रार्थी को जारी हो।~~
25/5/22 को पेश हो।

13/6/22

पत्रावली आज प्रशासन गांव के सगे अभियान फोर्सों के

[Signature]

[Signature]
21/11/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला

प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022

रणशेर सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी संख्या 139, राजेन्द्र नगर, सिरसी रोड, वैशाली नगर जिला जयपुर राजस्थान

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जयपुर राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवन्यू एक्ट बा पत्थर गढी बाबत।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है:-

- 1 यह कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख नं. 88 रकबा 0.6300 हैक्टेयर स्थित ग्राम तन नटाटा पट हल्का नटाटा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है।
- 2 यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से अप्रार्थी व अप्रार्थी सहकर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं लेकिन अप्रार्थी व उनके सहकर्मचारी आये दिन प्रार्थी की भूमि सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते हैं तथा प्रार्थी की भूमि प्रवेश करना चाहते हैं तथा प्रार्थी अपनी उक्त भूमि का सीमाजा

मानपुरकला में पेश है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रकरण की सुनवाई अजमेर में की गई अतः दिवसित भूमि के सम्बन्ध में शु.नं. 60/2022 अन्तर्गत लाल कला तहसील व एच.नं. 54/2022 विचाराधीन है दोनों प्रकरणों की सुनवाई की गई अतः प्रकरण की दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई के प्रकरण का स्विकार किया जाकर विवेक किया गया है प्रार्थी की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए शु.नं. 08/8/22 यदि किसी न्यायालय को एषण करने का होता है तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिए जाते हैं अतः प्रार्थी को सुनवाई के कारण सुनिश्चित करें कि प्रार्थी की प्रति तहसीलदार को पालनाम देते हैं। अतः प्रार्थी को पालनाम देते हैं। अतः प्रार्थी को पालनाम देते हैं। अतः प्रार्थी को पालनाम देते हैं।

13/6/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर
Ranjana Singh
4/11/22

Rajhans